संख्या- 2 /2021/395/77-2-21-3(बजट)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री,
उ0प्र0 प्रयागराज।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 मार्च, 2021

विषयः आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकीय मुद्रणालयों के प्रयोगार्थ जेम पोर्टल से मशीनों के क्रय के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-604/क्रय(यन्त्र)/2021 दिनांक 01-03-2021 व पत्र संख्या-623/लेसा/क्रय(यन्त्र)/2021 दिनांक 09-03-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-08, लेखा शीर्षक-4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयन्त्रों का क्रय मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 220.24369 लाख में से 1- Heavy Duty wire stitching machine 2 inch. (01 अदद) 2-Desktop Computer. (20 अदद) 3-Generator (01 अदद) हेतु कुल रू0 33,05,852.00 (रू0 तैतीस लाख पाँच हजार आठ सौ बावन मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020, 18-05-2020 व 29-09-2020 तथा अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा तथा मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन एवं महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

किसी मद में कोई धनराशि अवशेष बचती है तो बचत की धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि से राजकीय मुद्रणालयों के लिए मशीनों का क्रय दीर्घकालीन उपयोग के लिए किया जायेगा तथा मशीनों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री की होगी।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-08, लेखा शीर्षक-4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 103-सरकारी मुद्रणालय, 03-सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयन्त्रों का क्रय मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2021/395(।)/77-2-21-3(बजट)/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, रामपुर।

5- संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज/लखनऊ/वाराणसी/रामपुर।

6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज।

7- लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज/लखनऊ/रामपुर/वाराणसी।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

10-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in